O.A.111/2025 (CZB)

क्षेत्रीय कार्यालय
म0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
स्कीम नं. 78–सी, प्लॉट क.–1, पार्ट–2, अरण्य, विजयनगर, इन्दौर
☎ 2555436 फैक्स : 4035618 e-mail:-romppcb_indore@rediffmail.com

क्र0 56 / विधि / प्रनिबो. / 2025 इन्दौर, दिनांक 08/01/2025

प्रति,

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (विधि),
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)

विषयः–माननीय राष्टीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा प्रकरण कमांक 520 / 2024 में दिनांक 14.05.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबद।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र कमांक 2951 दिनांक 23.09.2024

....

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय राष्टीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा प्रकरण कमांक 520 / 2024 में दिनांक 14.05.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में एक्शन टेकन रिपोर्ट संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(एस.एन. द्विवेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी, इन्दौर

क्षेत्रीय कार्यालय
म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
स्कीम न. 78/सी, पार्ट 2, अरण्य, विजयनगर, इन्दौर–452010 (म.प्र.)
फोन : 0731 2555436; e-mail: romppcb_indore@rediffmail.com

LiFE
Lifestyle For Environment

क्र0 2951 /क्षे.का.इ./2024
इन्दौर, दिनांक 23/09/2024

प्रति,

डायरेक्टर पर्यावरण (तकनीकी),
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
भोपाल (म.प्र.)

विषयः– मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिन्सीपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण कमांक 520/2024 में दिनांक 14.05.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में।

संदर्भः–1. मान्नीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.05.2024
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) इन्दौर का पत्र क. 1239 दिनांक 06.08.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत ग्राम माचला जिला इन्दौर में अवैध उत्खनन के संबंध में "द सूत्र समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार को सज्ञान में लेते हुए मान्नीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क. 520/2024 में दिनांक 14.05.2024 को प्रकरण का निराकरण करते हुए निम्नानुसार निर्देशित किया गया है :–

5. *Hence, we dispose of the Original Application directing the Member Secretary, MPPCB to duly consider the issue of imposition of environmental compensation on those who have violated the norms and cause damage to the environment by carrying out the illegal mining. Let this exercise be completed by the Member Secretary, MPPCB within three months and an action taken report be filed before the Registrar of the Central Zonal Bench of the Tribunal on completion of three months. If found necessary, the matter will be listed for consideration before the concerned Bench.*

उपरोक्त प्रकरण में कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा इन्दौर के संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम माचला तहसील राउ के शासकीय भूमि के सर्वे क. 248/37 पर उत्खनित खनिज मूरम मात्रा 1,403.063 घनमीटर जिसकी रॉयल्टी राशि रूपये 70,154/– का 15 गुना अर्थशास्ति रू. 10,52,310/– एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति रू. 10,52,310/– कुल शास्ति 21,04,620/– व प्रशमन शुल्क रू0 1,000/– सहित कुल अर्थदण्ड राशि रू. 21,05,620/– का अवैध उत्खनन का प्रकरण सन्नी जाट पिता सुनील जाट निवासी ग्राम दुधिया तहसील भिचोली हप्शी जिला इन्दौर व अन्य 04 डम्फरों के विरूद्ध दर्ज कर किया गया है।

दूसरा अवैध उत्खनन का प्रकरण ग्राम–माचला तहसील राउ के निजी भूमि के सर्वे क. 248/49 पर उत्खनित खनिज मुरम मात्रा 7,811.671 घनमीटर जिसकी रायल्टी रायल्टी राशि रू. 3,90,584/– का 15 गुना अर्थशास्ति रू. 58,58,760/– एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति रू. 58,58,760/– कुल शास्ति 1,17,17,520/– व प्रशमन शुल्क रू. 1,000/– सहित कुल

अर्थदण्ड राशि रू. 1,17,18,520/– का अवैध उत्खनन का प्रकरण सन्नी जाट पिता सुनील जाट निवासी ग्राम दुधियास तहसील भिचोली हप्सी जिला इन्दौर व अन्य 04 डम्फरों के विरुद्ध दर्ज कर किया गया है।

प्रथम प्रकरण में कुल अर्थदण्ड राशि रू. 21,05,620/– न्यायालय अपर कलेक्टर जिला इन्दौर द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड की सम्पूर्ण राशि खनिज शाखा इन्दौर में जमा की जा चुकी है, जिसमें पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि 10,52,310/– सम्मिलित है। द्वितीय प्रकरण जिसमें प्रस्तावित अर्थदण्ड राशि रूपये 1,17,18,520/– का प्रकरण न्यायालय अपर कलेक्टर जिला इन्दौर में प्रचलित है।

कृपया उपरोक्तानुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि बोर्ड मुख्यालय के खाते में जमा करवाने हेतु खनिज विभाग इन्दौर को बैंक खाते की जानकारी जैसे बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का आय. एफ.सी.कोड, बैंक तथा शाखा का नाम उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे उपरोक्त राशि बोर्ड के खाते में जमा कराई जा सके।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(एस.एन.द्विवेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी, इन्दौर

पृ. क्र0 2952/राहअ./2024 इन्दौर, दिनांक 23/09/2024

प्रतिलिपि,

कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(एस.एन.द्विवेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी, इन्दौर

D:\MPPCB Indore-1\Notice, Revoke order/Hindi Letter

Report

Report in the Matter of OA No. 520/2024 (PB) (Suo-motu on the basis of the news item titled "The Sootr" की जानकारी पर प्रशासन की illegal mining पर बड़ी कार्यवाही, 3 पोकलेन, 4 डम्पर जप्त'' appearing in The Soortr.com dated 05/03/2024

Background :

The matter relates to the alleged illegal mining taking place in the Indore district of Madhya Pradesh. As per the article, there were about 20 dumpers and three Poklanes on the site, but as soon as they sensed the arrival of government vehicles, about 15 dumpers ran away from the spot. The article states that illegal murram excavation was found on various areas of government land survey number 248 of village Machla. The entire hill was dug up. From the spot, a dumper filled with Murom was caught while illegally transporting it. Three other dumpers have been caught which were helping in illegal excavation. The article alleges that excavation was going on extensively not at one but three-four places on the spot. Big pits up to 20 feet deep have been formed here.

Hon'ble National Green Tribunal (NGT) has passed the following directions on dated 14/05/2024 in para 5 :

5. *Hence, we dispose of the Original Application directing the Member Secretary, MPPCB to duly consider the issue of imposition of environmental compensation on those who have violated the norms and cause damage to the environment by carrying out the illegal mining. Let this exercise be completed by the Member Secretary, MPPCB within three months and an action taken report be filed before the Registrar of the Central Zonal Bench of the Tribunal on completion of three months. If found necessary, the matter will be listed for consideration before the concerned Bench.*

In compliance of aforesaid directions, the factual status regarding illegal mining is as given below:

1. The site at Khasra No. 248/37, 248/49, Gram-Machla, Tahsil-Rau, District-Indore has been inspected on dated 11/06/2024 by Board Officer with Patwari Smt. Sharda Solanki. Inspection report is enclosed as **Annexure-1**. As per inspection report it found that :-

   (i) Murrum/Soil mining has been done earlier at Khasra No. 248/37, 248/49, Gram-Machla, Tahsil-Rau, District-Indore. No person were available during inspection. Photographs taken during inspection enclosed as **Annexure-2**. Panchnama during inspection was prepared, copy of which is enclosed as **Annexure-3**.

2. Mining Department Indore has submitted information regarding illegal mining & action taken, accordingly :

   (i) Joint action was taken by the Assistant Mining Officer with the Revenue Team under the direction of Sub-Divisional Officer (Revenue) Section Rau on 05/03/2024. The quantity of mineral mud excavated on Survey No. 248/37 of government land of village Machla Tehsil Rau is 1,403.063 cubic meter whose royalty amount is 15 times of Rs 70,154/-, penalty amount of Rs 10,52,310/- and environmental compensation Rs 10,52,310/-, total penalty amount of Rs 21,04,620/- and compounding fee of Rs 1,000/- including total penalty amount of Rs 21,05,620 has been calculated & a case of illegal excavation of Rs.21,05,620 /- has been registered against Sunny Jat, father Sunil Jat, resident of village Dudhia, tehsil Bhicholi, Hapshi District, Indore and also against 04nos other dumpers.

   (ii) Mineral Murram quantity 7,811.671 cubic meters excavated on Survey No. 248/49 of private land of village Machla Tehsil Rau, whose penalty has been calculated as 15 times of royalty amount (Rs 3,90,584) Rs 58,58,760/-.environmental compensation of Rs 58,58,760/- compounding fee Ra 1000/-. Case of illegal excavation has been registered for Rs 1,17,18,520/- against Sunny Jat father Sunil Jat resident village Dudhia Tehsil Bhicholi Hapshi district Indore and against other 04 dumpers.

(iii) In the first case, the total fine amount of Rs 21,05,620/- imposed by the Court, Additional Collector, District Indore has been deposited. In the second case in which the proposed penalty amount of Rs 1,17,18,520/- is pending in the Court of Additional Collector, District Indore.

Conclusion:

(i) Mining Department has registerd case against illligal mining & also imposed penalty ,Environment compensation in at Khasra No 248/37,248/49 Gram Machla,tehsil Rau.

(ii) In the matter of Khara No 248/37, the fine amount Rs 21,05,620/- has been deposited by illegal mining operator Shri Sunny Jat S/o Sunil Jat Gram Dudhiya

(iii) In the matter of khasra no 248/49 the penalty amount Rs 1,17,18,520/- is not deposited & case is still pending at ADM Distt-Indore court.

(iv) Action has already been taken by Mining Department Indore hence no further action required.

Enclosed : Annexure 1 to 3.

(S.N. Katare)
Jr. Scientist
MPPCB Indore

(S.N. Dwivedi)
Regional Officer,
MPPCB, Indore

Annexure-1

पंचनामा

आज दिनांक 11-06-2024 को ग्राम-माचला की शासकीय भूमि के सर्वे नं० 248/37 एवं 248/49 का मौका मुआयना, पटवारी श्रीमती शारदा सोलंकी व श्री भेरूलाल (चौकीदार) के साथ किया गया। मौके पर मिट्टी/मुरम का [illegible] खनन/उत्खनन पाया गया है। वर्तमान में स्थल पर कोई भी उत्खनन कार्य अथवा अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधि नही पायी गयी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उपरोक्त खनन कार्य लगभग 2से3 माह पुराना है। उक्त स्थल गांव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर किया गया है। उपरोक्त स्थल के फोटोग्राफ भी लिए गए है।

① - [signature] 11-6-2023
नाम एस० एन० कटारे
पद - क० वैज्ञानिक
कार्यालय नाम म० प्र० प्र० नि० बोर्ड, इन्दौर

2 - नाम - शारदा सोलंकी
पद - पटवारी
हस्ताक्षर [signature]

3 - नाम - भेरूलाल
पद - कोटवार
हस्ताक्षर भेरूलाल

④ नाम - राघवेन्द्र सिंह
पद - प्रयोगशाला सहायक
हस्ताक्षर - [signature]

⑤ नाम - [illegible] बैडाकिया
पद - वाहन चालक
हस्ताक्षर - [signature]

Annexure-2

निरीक्षण के दौरान लिये गये छायाचित्र

Annexure-3

निरीक्षण प्रतिवेदन

विषय :– ग्राम–माचला, तहसील–राउ, जिला–इन्दौर में अवैध उत्खनन के संबंध में "द सूत्र" समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार को संज्ञान में लेते हुए माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रं. 520/2024 में पारित आदेश के अनुपालन जांच प्रतिवेदन।

संदर्भ :– क्षेत्रीय अधिकरी महोदय का पत्र क्रं. 1865 दिनांक 10.06.2024।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निर्देशानुसार दिनांक 11.06.2024 को उपरोक्त माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रं. 520/2024 में पारित आदेश के अनुपालन में खसरा क्र. 248/37 एवं खसरा क्रं. 248/49 ग्राम–माचला, तहसील–राउ, जिला–इन्दौर का स्थल निरीक्षण पटवारी श्रीमती शारदा सोलंकी व श्री भेरूलाल चौकीदार के साथ किया गया। निरीक्षण के दौरान पाई गई वस्तुस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :–

1. स्थल पर कोई भी व्यक्ति नहीं पाया गया। स्थल एक छोटी से पहाडी के आकार की है, जो मूलतः मुरूम/मिटटी की है। स्थल पर कोई भी मशीन अथवा वाहन/डम्पर नही पाया गया।
2. उपरोक्त खसरा क्रं. 248/37 एवं खसरा क्रं. 248/49 ग्राम–माचला के स्थल पर मुरुम/मिटटी का उत्खनन पाया। जिसके फोटोग्रफ निरीक्षण के समय लिये गये हैं। प्रतिवेदन के साथ संलग्न हैं।
3. उपरोक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया अवैध उत्खनन् से संबंधित होकर रॉयल्टी चोरी कर राजस्व क्षति का है। अतः खनिज विभाग इन्दौर को अवैध उत्खनन् से संबंधित जानकारी बुलाया जाना प्रस्तावित है।

संलग्न :– निरीक्षण के दौरान लिये गये छायाचित्र।

निरीक्षणकर्ता

Katare

(एस.एन.कटारे)

क.वैज्ञानिक